प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रक्रिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) ..चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर....(थाना) ...प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।
(प्र.सू.रि.स.) ....134/2023 .... (दिनांक) ....31/5/2023..............
2 I (अधिनियम).....7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
II (अधिनियम).. (धाराए) ....
III (अधिनियम) .... (धाराए) ....
IअI (अन्य अधिनियम एवं धाराए) ....
3. (क) (दिन).........मंगलवार......(दिनांक से).........30.05.2023......(दिनांक तक)..............................
(ख) (पहर) 04.35 पी.एम. (बजे से)................................... (बजे तक) ....
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना)....................(दिनांक) ....(समय) ....
(रोजनामचा संदर्भ) ....(प्रविष्टि सं.) ......601.......(समय) 3:00 PM............
4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक)..........................लिखित रिपोर्ट ....
5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी).....बजानिव पूर्व दिशा, दूरी करीब 1.5 कि.मी....
(ख) (पता)................. पुलिस थाना मानटाउन, सवाई माधोपुर.............
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) ....
(थाने का नाम) ....(जिला) ....
6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)
(क) (नाम) ....श्री लेखराज वर्मा ....
(ख) (पिता/पति का नाम)..... श्री रामपाल वर्मा ....
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष)...........24 वर्ष.........(घ) (राष्ट्रीयता)................भारतीय..............................
(ड.) (पासपोर्ट सं.) ....
(जारी करने की तिथि) ....(जारी करने का स्थान) ....
(च) (व्यवसाय) ....
(छ) (पता).. ग्राम रजवास, तहसील निवाई, जिला टोंक।
7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)
1. गिर्राज प्रसाद पुत्र सेवाराम, उम्र 46 वर्ष, जाति रैगर, निवासी बनैठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर
8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) ....
9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) ....
मांगी गई रिश्वती राशि 20,000/–रुपये।
10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)
12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी सवाई माधोपुर। विषयः–रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाये जाने के सम्बंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं रजवास तहसील निवाई, जिला टोंक का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार की रिश्तेदारी सवाई माधोपुर में है, जहां मे एक दो बार प्रोग्राम में

वालों के माध्यय से मुझे गिर्राज जी एएसआई ने मानटाउन थाने में बुलवाया था। जिस पर मैं व मेरी पत्नि मायावती पुलिस थाना मानटाउन पहुंच गये, जहां पर मैंने मेरा मेरिज सर्टिफिकेट भी गिर्राज जी को दिखाया था, तो उन्होने कहा कि लडकी के परीजनो ने पुलिस थाने मायावती की गुमशुदगी की रिपोर्ट नम्बर 11/2023 दर्ज करवायी है, जिसकी जांच मैं कर रहा हूँ। तेरे साथ में गयी लडकी मायावती के बयान तेरे पक्ष में करवा दूंगा व तेरे साथ भेज दूंगा एवं मायावती को उसके परिजन व नारी निकेतन नही भिजवाउंगा। उक्त काम के बदले में गिर्राज जी ए.एस.आई. मेरे से चालीस हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इसके बाद गिर्राज जी ने मुझे पुलिस थाने से भेज दिया था तथा मेरी पत्नि मायावती को वहीं रोक लिया था। मैं गिर्राज वर्मा, ए.एस. आई. को रिश्वत के चालीस हजार रूपये नही देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथा पकडवाना चाहता हूँ। मेरी गिर्राज जी से कोई पुराना लेन देन व रंजीश नहीं है। मैं इससे पहले गिर्राज जी को जानता भी नही था। रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 30.05.2023 प्रार्थी (लेखराज वर्मा) पुत्र श्री रामपाल वर्मा, जाति रैगर, उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम रजवास, तहसील निवाई, जिला टोंक मो0नं0 7689086201

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 30.05.2023 समय–09:50 ए.एम. पर परिवादी लेखराज वर्मा पुत्र श्री रामपाल वर्मा, जाति रैगर, उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम रजवास, तहसील निवाई, जिला टोंक ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड मय मैरिज सर्टिफिकेट के लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं रजवास तहसील निवाई, जिला टोंक का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार की रिश्तेदारी सवाई माधोपुर में है, जहां में एक दो बार प्रोग्राम में आया था। जहां पर मेरी मायावती पुत्री श्योराम रैगर निवासी करमोदा से जानकारी हो गई थी, हम दोनो आपस में प्रेम करने लग गये थे तथा हम दोनो शादी करना चाहते थे, किन्तु हमारे परिवार वाले राजि नही थे, इस पर मैं व मायावती दोनो अपनी सहमति से दिनांक 23 मई 2023 को किसी को बिना बताये करमोदा, सवाई माधोपुर से दिल्ली चले गये थे तथा हम दोनो ने दिनांक 24.05.2023 को आर्य समाज खिडकी गांव, नई दिल्ली में शादी कर ली। यह संस्था एक रजिस्ट्रर्ड संस्था है, मै व मायावती दोनो बालिक है। इस पर मुझे मेरे मिलने वालों के माध्ययम से पता चला कि मायावती के घर वालों ने पुलिस थाना मानटाउन में केस दर्ज करा दिया है, मैं व मायावती कल दिनांक 29.05.2023 को सवाई माधोपुर आकर, एसपी साहब सवाई माधोपुर से मिलने के लिये गये थे। जहां पर एसपी साहब को हमने सारी बाते बता दी थी। इसके बाद मुझे मेरे मिलने वालों के माध्यय से मुझे गिर्राज जी एएसआई ने मानटाउन थाने में बुलवाया था। जिस पर मैं व मेरी पत्नि मायावती पुलिस थाना मानटाउन पहुंच गये, जहां पर मैंने मेरा मेरिज सर्टिफिकेट भी गिर्राज जी को दिखाया था, तो उन्होने कहा कि लडकी के परीजनो ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी है, जिसकी जांच मैं कर रहा हूँ। तेरे साथ में गयी लडकी मायावती के बयान तेरे पक्ष में करवा दूंगा व तेरे साथ भेज दूंगा एवं मायावती को उसके परिजन व नारी निकेतन नही भिजवाउंगा। उक्त काम के बदले में गिर्राज जी ए.एस. आई. मेरे से चालीस हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इसके बाद गिर्राज जी ने मुझे पुलिस थाने से भेज दिया था तथा मेरी पत्नि मायावती को वहीं रोक लिया था। मैं गिर्राज वर्मा, ए.एस.आई. को रिश्वत के चालीस हजार रूपये नही देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथा पकडवाना चाहता हूँ। मेरी गिर्राज जी से कोई पुराना लेन देन व रंजीश नहीं है। मैं इससे पहले गिर्राज जी को जानता भी नही था। रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर समय 10:10 ए.एम. पर श्री हम्मीर सिंह कानि. को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री लेखराज वर्मा को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु वॉइस रिकॉर्डर को श्री हम्मीर सिंह

जहां पर श्री हम्मीर सिंह ने अपना परिचय देकर वाईस रिकार्डर मुझे चालू कर दे दिया। मै पुलिस थाना मानटाउन के लिये जा रहा था तो रास्ते में मानटाउन स्कूल से थोडा आगे मुझे गिर्राज जी मिल गये थे। जहां पर मैने उनसे मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तो उन्होने बातचीत के दौरान अपनी पहनी हुई बर्दी की शर्ट की जैब से एक कागज निकालकर कागज पर 40,000 रूपये लिखकर बताये और कहा की इससे कम नही होगे। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर श्री हम्मीर सिंह कानि. के पास आ गया, जहां पर उन्होने मुझसे वाईस रिर्काडर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया एवं हम दोनो वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय में आ गये। इसके बाद हम्मीर सिंह कानि. से लेपटॉप व स्पीकर मंगवाकर वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से अटैच करवा कर टेबल स्पीकर अटैच करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना तो परिवादी श्री लेखराज वर्मा से आरोपी गिर्राज प्रसाद ए.एस.आई पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर ने परिवादी के कार्य एवं रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता होना पायी गयी। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी द्वारा कागज पर रिश्वत राशि 40,000 लिखना बताया है। रिश्वत मांग का सत्यापन का पुनः प्रयास करवाकर एवं स्वतंत्र गवाहान को तलब कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप में सेव करवाया गया। इसके पश्चात समय 01:15 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी लेखराज वर्मा व श्री हम्मीर सिंह कानि. को मय वाईस रिकार्डर मय प्राईवेट मोटरसाईकिल से रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु पुलिस थाना मानटाउन सवाई माधोपुर के लिये रवाना किया गया तथा समय--02:00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को उप निदेशक, सामाजिक न्याय. एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर के पदनाम से तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह हमराह लाने हेतु रवाना किया गया, जो समय 02:10 पी.एम पर हमराह लाये हुए स्वतंत्र गवाहान से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय पूछा तो उन्होने अपने नाम क्रमशः श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा, जाति ब्राहम्मण, उम्र 34 वर्ष, निवासी गणेश नगर बी, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर हाल व्याख्याता देवनारायण, राजकीय, बालिका आवासीय विद्यालय, मच्छीपुरा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर एवं श्री रामसहाय पुत्र श्री प्रताप चन्द, जाति खटीक, उम्र 59 वर्ष, निवासी शेरपुर पुलिस थाना कुण्डेरा, जिला सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक, जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर होना बताया। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुए कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। इसके पश्चात समय 02:20 पी.एम पर परिवादी श्री लेखराज वर्मा एवं श्री हम्मीर सिंह कानि. उपस्थित कार्यालय आये और परिवादी ने बताया कि मैं और श्री हम्मीर सिंह कानि. प्राईवेट मोटरसाईकिल से आपके कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना मानटाउन के पास पहुंचे, जहां पर श्री हम्मीर सिंह ने वाईस रिकार्डर मुझे चालू कर दे दिया। मै पुलिस थाना मानटाउन के अन्दर चला गया। जहां पर मुझे गिर्राज जी एएसआई मिले जिनसे मैने मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तो उन्होने कहा की पैसे कहां है, मैनें कहा की सर पैसे बन्टी भैया के पास है, दस मिनट है। मैने कहा की बीस हजार की व्यवस्था तो हो गई है, अभी ले आंउ जाके दस मिनट में तो उन्होने कहा की जल्दी कर इस पर मैं वहां से रवाना होकर श्री हम्मीर सिंह कानि. के पास आ गया, जहां पर उन्होने मुझसे वाईस रिर्काडर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया एवं हम दोनो वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय में आ गये। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की मायावती के बयान एसडीएम कोर्ट सवाई माधोपुर में होगें, गिर्राज जी एएसआई साहब मुझे एसडीएम कोर्ट के आस पास ही मिलेंगे। इसके बाद पूर्व से कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री नवीन कुमार शर्मा एवं श्री रामसहाय से परिवादी का आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट स्वतन्त्र गवाहान को पढवाई गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस

के पांच नोट अर्थात कुल 20,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 WQ 679763
2.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 CN 383973
3.	एक नोट 500 रूपये का	9 CB 739379
4.	एक नोट 500 रूपये का	3 CU 746206
5.	एक नोट 500 रूपये का	4 ES 307225
6.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 PA 623709
7.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 TN 697285
8.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 SL 058397
9.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 PV 778325
10.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 BK 700310
11.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 KD 346933
12.	एक नोट 5,00 रूपये का	O GD 101072
13.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 GK 873435
14.	एक नोट 5,00 रूपये का	2 BD 664089
15.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 GS 048880
16.	एक नोट 5,00 रूपये का	2 SP 501661
17.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 PS 956588
18.	एक नोट 5,00 रूपये का	2 KT 586110
19.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 QS 889134
20.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 CQ 219044
21.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 DA 553364
22.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 DL 417637
23.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 QE 996278
24.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 AP 897247
25.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 GW 651307
26.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 CF 286550
27.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 CF 286549
28.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 FB 140108
29.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 CF 286548
30.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 CF 286547
[illegible]	[illegible]	7 KK 564877

38.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 UH 291273
39.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 QD 974255
40.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 GA 832197

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर फर्द में अंकित नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री प्रदीप गुर्जर क.स. से मालखाने मे रखे फिनॉफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाया जाकर श्री प्रदीप गुर्जर क.स. से एक अखबार के उपर फिनॉफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 20,000/–रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली–भांति फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री लेखराज वर्मा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रामसहाय से लिवाई गई तो उसके पास पहने हुये परिधान तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर से फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे हुये 20,000/–रूपयो को परिवादी श्री लेखराज की पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त राशि निकालकर उसे देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री नवीन कुमार शर्मा से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री नवीन कुमार शर्मा से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे का ढक्कन बंद करवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर से गिलास के धोवन को कार्यालय परिसर के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री प्रदीप गुर्जर के दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री लेखराज वर्मा एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद परिवादी श्री लेखराज वर्मा को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय– 03:00 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन कुमार शर्मा व श्री रामसहाय मय सरकारी बोलेरो चालक संजय कुमार मय ट्रेप बॉक्स व लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरण सहित एवं श्री हम्मीर सिंह कानि व परिवादी लेखराज मय हम्मीर सिंह की निजि वाहन से एवं श्री रमेश कुमार कानि व भोलाराम कानि मय रमेश कुमार

प्रसाद एएसआई है। जिन्होने मेरे रिश्वत राशि ली है। इस पर उक्त मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति को जाप्ते की मदद से मोटरसाईकिल पर बैठी हुई अवस्था में पकडा तथा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आरोपी का अपना नाम पूछा तो अपना नाम गिर्राज प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना मानटाउन, सवाई माधोपुर होना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उक्त व्यक्ति का दाहिना हाथ श्री रमेश कुमार कानि. व बायां हाथ श्री राजवीर सिंह कानि. से कलाईयों के उपर से पकडाकर कर पुलिस थाना मानटाउन के अन्दर प्रवेश किया तथा रिश्वति राशि के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया की गिर्राज जी एएसआई साहब ने मेरे से उनके काम करने वाले कक्ष में एक पीले रंग के शादी के कार्ड में रखवाकर उस कार्ड को एक कार्टुन में रखवाया है। इस पर आरोपी गिर्राज प्रसाद एएसआई व परिवादी की निशादेही से आरोपी गिर्राज प्रसाद के कार्य करने वाले कमरा नम्बर 05 में पहुंचे। जहां पर आरोपी गिर्राज प्रसाद एएसआई का तसल्ली देकर अपना नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम पता गिर्राज प्रसाद पुत्र सेवाराम, उम्र 46 वर्ष, जाति रैगर, निवासी बनैठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर होना बताया। आरोपी गिर्राज प्रसाद एएसआई से परिवादी से रिश्वति राशि बाबत पूछा गया तो आरोपी कहने लगा कि मैने लेखराज से कोई रिश्वत राशि नही ली। इस पर पास ही खडे परिवादी लेखराज वर्मा ने आरोपी गिर्राज प्रसाद एएसआई की बातों का खण्डन करते हुये कहा की गिर्राज प्रसाद एएसआई साहब ने पुलिस थाना मानटाउन में दर्ज एमपीआर 11/2023 में मायावती को मेरे पक्ष में बयान करवाने एवं मायावती को मुझे सुपुर्द करने तथा मायावति को उसके परिजन के पास व नारी निकेतन नही भेजने के बदले में रिश्वत के चालीस हजार रूपये मांगे थे। इस पर आज दिनांक 30.05.2023 को मैनें आपके कार्यालय एसीबी सवाई माधोपुर मे गिर्राज प्रसाद एएसआई को रंगे हाथों पकडवाने के लिये एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसका आप द्वारा गोपनीय रूप से सत्यापन करवाया गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान गिर्राज प्रसाद ने अपनी जेब से एक कागज निकालकर 40,000/– रूपये लिखकर मांग की। इसके पश्चात आपने आज ही मुझे व हम्मीर सिंह कानि. को भेजकर पुनः सत्यापन कराया तो आरोपी गिर्राज प्रसाद एएसआई मेरे से 20,000/– रूपये रिश्वती राशि आज ही लेने को राजी हो गया। इसके पश्चात आज ही गिर्राज प्रसाद एएसआई ने मुझे मायावति को सुपुर्द करने के पश्चात रिश्वति राशि 20,000 रूपये अपने कार्य करने वाले कक्ष में अपनी टेबिल पर रखे एक पीले रंग के शादी के कार्ड में रखवाकर उक्त कमरे में दरवाजे के साईड में रखी लोहे की रैक के उपर रखे कार्टून के अन्दर रखवाकर अपने कक्ष का दरवाजा बन्द कर मुझे अपने साथ पुलिस थाने के बाहर लेकर आ गये, इस पर मैने आपको रिश्वत राशि लेने का ईशारा कर दिया था। इस पर परिवादी लेखराज की निशादेही से दरवाजे के पीछे रखी लोहे की रैक के उपर रखे कार्टून की तलाशी स्वतंत्र गवाह नवीन कुमार शर्मा से लिवायी गयी तो कार्टून के अन्दर एक पीले रंग का शादी का कार्ड मिला, जिसके अन्दर 500–500 रूपये के नोटो की मुडी हुई गडडी मिली, जिसे उक्त गवाह नवीन कुमार से गिनवाया गया तो 500–500 रू. के 40 नोट कुल 20,000/–रू. होना बताया। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री नवीन कुमार शर्मा से नोटो नम्बर बुलवाये व स्वतंत्र गवाह श्री रामसहाय छिनवाल से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो वही हुबहु नम्बरी नोट पाये गये, उपरोक्त 20000/–रूपये के नम्बरी नोटो को बतौर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप बोक्स में से एक कांच का मग निकलवाकर उसको गवाह श्री रामसहाय से साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर उक्त गवाह से पुलिस थाना मानटाउन परिसर में रखे पानी के केम्पर मे से पानी मंगवाया जाकर मग में पानी डलवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त स्वतंत्र गवाह रामसहाय से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे में से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर निकलवाकर डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी गिर्राज प्रसाद एएसआई ने परिवादी से दरवाजे के पीछे लोहे की रैक के उपर रखे कार्टून के अन्दर रखे पीले रंग के शादी के कार्ड के अन्दर रखी

के उपर रखे कार्टून के अन्दर रखे पीले रंग के शादी के कार्ड के अन्दर रखी रिश्वती राशि रखी थी। उक्त कार्ड पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर अंकित कर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "सी" अंकित करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात पूछने पर परिवादी ने बताया की आज ही जब आपने पहली बार मुझे रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु भेजा था, तब एएसआई साहब ने अपनी पहनी हुई बर्दी की जेब में से एक कागज निकालकर उसमें 40,000 रूपये लिखकर मेरे से मांग की थी। उक्त कागज को गिर्राज जी ने अपनी पहनी बर्दी की शर्ट की जेब में रख लिया था, हो सकता है वह कागज अब भी इनकी बर्दी की जेब में रखा हो। इस पर स्वतंत्र गवाह रामसहाय से उक्त कमरे के दरवाजे के सामने लगे हैंगर पर टंगी बर्दी की शर्ट की जैब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रामसहाय से लिवायी गयी तो उक्त बर्दी की शर्ट में एक सफेद कागज मिला जिसका अवलोकन किया गया तो फोल्डनुमार सफेद कागज पर नीली श्याही से अंको में 40,000 लिखे हुये थे एवं हैमचन्द चाकसू के मोबाईल नम्बर व अन्य कुछ अंग्रेजी व अंको में अंकित है तथा उक्त कागज को दूसरी तरफ से खोलकर देखा तो आरोपी गिर्राज प्रसाद वर्मा की माह अप्रेल 2023 की पे–स्लीप होना पायी गयी। जिसको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बतौर वजह सबूत जप्त कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक से जरिये फर्द जप्ती के जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात आरोपित गिर्राज प्रसाद वर्मा एएसआई से एमपीआर नम्बर 11/2023 की पत्रावली के बारे में पूछा गया तो आरोपी गिर्राज प्रसाद ने उक्त कमरे में टेबिल के उपर से एक पत्रावली पेश की, जिसका अवलोकन किया गया तो उक्त पत्रावली पर के प्रथम पृष्ठ पर कार्यालय पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर, श्रीमान एसडीएम साहब जिला सवाई माधोपुर तथा विषय में एमपीआर 11/2023 दिनांक 24.05.2023 पत्रवाली का निस्तारण करने के क्रम में लिखा हुआ है तथा उक्त पत्रावली के द्वितीय पृष्ठ पर राजस्थान पुलिस जिला/युनिट थाना मानटाउन का कवर है। उक्त मूल पत्रावली को श्री हरसुख सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना मानटाउन से पेजिंग करवाकर कुल पेजिंग 01 से 40 तक को श्री हरसूख सहायक उप निरीक्षक पुलिस से प्रमाणित करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा परिवादी का कार्य बाधित नही हो इसलिए उपरोक्त मूल पत्रावली श्री हरसुख स.उ.नि. पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि जब भी न्यायालय अथवा ए.सी.बी. तलब करे तो पेश करें। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास परिवादी से प्राप्त शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर ईयरफोन लगा कर सुना गया तो परिवादी लेखराज वर्मा एवं आरोपी गिर्राज प्रसाद वर्मा, ए.एस.आई. के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवादी श्री लेखराज वर्मा एवं आरोपित गिर्राज प्रसाद ए.एस.आई. से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 07:25 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी लेखराज वर्मा की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 07:50 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी गिर्राज प्रसाद पुत्र सेवाराम, उम्र 46 वर्ष, जाति रैगर, निवासी बनैठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पदनाम से अवगत कराकर तथा तमाम ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में लिप्त पाये जाने पर जुर्म से आगाह कर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर इन्हे गिरफ्तार किया गया गया। आरोपी गिर्राज प्रसाद की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रामसहाय से लिवायी गई तो उसके पहने हुये कपडो के अलावा दो मोबाईल फोन आईटेल कम्पनी व वीवो कम्पनी का तथा पेन्ट की पीछे वाली जेब में 1670 रूपये मिले, जो स्वतंत्र गवाह श्री रामसहाय के पास सुरक्षित रखे हुए है के बारे में आरोपी से पूछा तो

मय सरकारी वाहन चालक संजय कुमार को वास्ते गिरफ्तारशुदा अभियुक्त गिर्राज प्रसाद एएसआई पुलिस थाना मानटाउन का स्वास्थय परीक्षण कराने हेतु सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर तहरीर देकर रवाना किया गया, जो समय 09.00 पी.एम पर बाद स्वास्थय परीक्षण करवाकर सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर से वापस पुलिस थाना मानटाउन वापस आये। इसके पश्चात समय– 09:10 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गिर्राज प्रसाद सहायक उप0 निरीक्षक पुलिस मय जप्त/शील्डशुदा शीशी मार्क सी–1, सी–2, व शील्ड पैकेट मार्क "सी" व "पी" व वजह सबूत रिश्वत राशि 20,000/–रूपये मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के बाद ट्रेप कार्यवाही सरकारी व प्राईवेट वाहनो के पुलिस थाना मानटाउन, सवाई माधोपुर से ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर के लिए रवाना होकर समय 09.25 पी.एम पर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचे तथा श्री रमेश कुमार कानि0 को उक्त माल सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया। अभियुक्त को कार्यालय में जाप्ता की निगरानी में रखा गया। तत्पश्चात समय 10:00 पी.एम. पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पूर्व से प्राप्त शुदा सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 30.05.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक पेन ड्राईव तथा दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आईओ प्रति डीवीडी को सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 31.05.2023 समय– 12:15 ए.एम पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 30.05.2023 को पुनः करवायी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक पेन ड्राईव तथा दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आईओ प्रति डीवीडी को सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय– 02:15 ए.एम पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 30.05.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता को सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा रिश्वत लेन–देन वार्ता की एक पेन ड्राईव तथा दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "D" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आईओ प्रति डीवीडी को सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय– 06:30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सीलड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 47 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गईं। तत्पश्चात समय 07:00 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी लेखराज वर्मा को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त गिर्राज प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री लेखराज वर्मा से पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर में मायावती के परिजन द्वारा दर्ज करवाई गयी एफआईआर 11/2023 में मायावती के परिवादी लेखराज वर्मा के पक्ष में बयान करवाने

उपर रखे कार्टुन के अन्दर रखवाते हुये रंगे हाथों पकडा जाना आरोपित गिर्राज प्रसाद पुत्र सेवाराम, उम्र 46 वर्ष, जाति रैगर, निवासी बनैठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री सेवाराम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 134/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31/5/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 1019-22 दिनांक 31.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

31/5/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।